न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

मुकदमा नंबर 58/2018 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212आर0टी0एक्ट तारीख रजू

24–12–2018

उनवान

1–इलियास खान पुत्र हाजी तैयवा जाति मुसलमान गद्दी निवासी गोगोर तहसील व जिला स0माधोपुर

–प्रार्थी

बनाम

1– अब्दुल कलाम पुत्र इदया जाति मुसलमान निवासी गोगोर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

2– अब्दुल सलाम पुत्र इदया जाति मुसलमान निवासी गोगोर तहसील व जिला सवाई माधोपुर

3– अब्दुल वारिस पुत्र कलाम जाति मुसलमान निवासी गोगोर तहसील व जिला स0माधोपुर

4– मुसम्मात साविया पत्नी कलाम मुसलमान निवासी गोगोर तहसील व जिला स0माधोपुर

– अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण

श्री बी0के0उपाध्याय –वकील प्रार्थी

श्री मुकेश तेहरिया अप्रार्थीगण 1 लगा0 4 की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0टीनेन्सी एक्ट

निर्णय दिनांक : 17– 09 –2019

प्रार्थना पत्र संक्षेप् में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम गोगोर के खाता संख्या 60 में अंकित कृषि भूमि खसरा नंबर 1124 रकबा 0.07है0, ख0 नं0 1126 रकबा 0.35है0 , भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होते हुए भी अप्रार्थीण बिना किसी अधिकार के प्रार्थी के कब्जे के खेत में गडडू गाढ कर व तारो की फैंसिग करके कब्जा करने पर आमादा है । इसलिये अप्रार्थीगणो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के खेत खसरानंबर 1126 ,1124 वाके ग्राम गोगोर पर प्रार्थी को आने जाने , काश्त करने फसल को लाने लेजाने हेतु कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि लाने में जाने में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे , ना ही अत्यक्ष व परोक्ष रूप से कोई ऐसा कार्य ही करे कि जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकार आहत हो ।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो की तलबी जरिये नोटिस किये जाने पर विपक्षीगणो की ओर से दिनांक 31–12–18 को मुकेश तेहरिया एडवोकेट ने प्रार्थना

पत्र के साथ संलग्न वाद में वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थीगणो द्वारा दिनांक 7–1–19 तक जवाब प्रस्तुत नही करने पर प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई ।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी के खसरा नंबर 1125 को साबुद्धीन से अदला बदली करना लिखा है । परन्तु 1125 के बदले खसरा नंबर 1126 अप्रार्थी सं0 1 अब्दुलकलाम को दिया है तथा खसरा नंबर 1125 जो साबुद्धीन के नाम खातेदारी में थी उसे प्रार्थी इलियास को दे दिया है । जिस पर आज भी प्रार्थी का कब्जा है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

पत्राली में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी खाता संख्या 60 का अवलोकन किया गया । विवादित भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार कास्तकार होने के कारण प्रथमं दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में पूर्ण से साबित है, जबकि अप्रार्थीगण खेत की अदला बदली के आधार पर कब्जा होना बतलाता है । इस बाबत अप्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है । जहां तक सुविधा का संतुलन अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है यह दोनो बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम गोगोर तहसील सवाई माधोपुर के खाता संख्या 60 में अंकित कृषि भूमि खसरा नंबर 1124 व 1126 कुल किता दो कुल रकबा 0.42है0प्रार्थी के कब्जे कास्त में किसी तरह की बाधा न तो स्वंय उत्पन्न करे न ही दीगर व्यक्ति द्वारा करावें ।

निर्णय आज दिनांक 17–07–19 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील मूल वाद पत्र के साथ शामिल मिसल हो ।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.19 13:11:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: